प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 01478/2021-2022

दिनांक 11/10/2021

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/GHA/09810/2021-2022 पत्रावली संख्या:48356-M दिनांक:2006-2007

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **चेतना शिक्षा समिति, 85, खन्ना नगर, लोनी, जिला गाजियाबाद, गाजियाबाद, 201102** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 406 दिनांक-22/07/2006 को दिनांक-22/07/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1150 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(ARVIND KUMAR SINGH)
5BAB8725D0F998628ED3E67B9679BBD11EE91463
Date: 11/10/2021 1:06:18 PM, Location: Meerut.

जारी करने का दिनांक-11/10/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

डिप्टी रजि...

चेतना शिक्षा समिति

85, खन्ना नगर, लोनी, जिला- गाजियाबाद।

प्रवन्धसमिति की सूची वर्ष :– 2021–2022

क्र0 सं0	नाम व पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री सोहनवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री श्रीचन्द सिंह	एच–35, वैस्ट ज्योति नगर, लोनी रोड, शाहदरा, दिल्ली–110094	अध्यक्ष	सेवा निवृत्त
2.	श्रीमती सन्तोष पत्नी श्री विरेन्द्र सिंह ढाका	85, खन्ना नगर, लोनी, जनपद गाजियाबाद– 201102	प्रबन्धक	गृहणी
3.	श्रीमती मीनाक्षी पत्नी श्री तरूण चौधरी	बी–2, सैक्टर–93बी, नोएडा, जिला– गौतमबुद्धनगर।	उपाध्यक्ष	व्यापार
4.	श्री हनी राणा पुत्र श्री बी0एस0 राणा	फ्लैट नं0–371, न्यू मिलेनियम अपार्टमेन्ट, सैक्टर–23, द्वारका, नई दिल्ली– 110070	उपप्रबन्धक	व्यापार
5.	श्री सोदान सिंह पुत्र स्व0 श्री कटार सिंह	ए–54, इन्द्रापुरी, लोनी, जिला– गाजियाबाद।	कोषाध्यक्ष	व्यापार
6.	श्रीमती रितू सिंह पत्नी कर्नल वेदपाल सिंह	म0नं0–3799, सैक्टर–15, जनपद– सोनीपत (हरियाणा)।	सदस्य	गृहणी
7.	श्री हरेन्द्र सिंह ढाका पुत्र स्व0 श्री वेदप्रकाष	म0नं0– 7142, पोस्ट आफिस वाली गली, शिवाजी पार्क, शाहदरा, दिल्ली– 110032	सदस्य	रिटायर्ड

S.V Singh

Honey Rana

सेवा में,	फाईल सं0: 1–48356–एम

डिप्टी रजिस्ट्रार,
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स,
विकास विहार, मोहनपुरी, मेरठ।

विषय : **संस्था चेतना शिक्षा समिति, 85, खन्ना नगर, लोनी, जिला– गाजियाबाद** का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

निवेदन है कि संस्था का नवीनीकरण कराये जाने हेतु आपके कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन किया गया है। आपके कार्यालय द्वारा तिथि निर्धारित की गई है। जिसके अनुपालन में प्रबन्धसमिति की सूची, बैलेन्सशीट, चुनाव कार्यवाही एवं अन्य वांछित प्रपत्र जमा कर रहे है। संस्था की प्रबन्धसमिति में कोई प्रबन्धकीय विवाद नही है। प्रस्तुत किये गये सभी प्रपत्र मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य है, मेरे द्वारा दिये गये प्रपत्र अभिलेखों के आधार पर तैयार किये गये है। जिसके लिए मेरी स्वंय की जिम्मेदारी होगी। संस्था का मूल प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा कर रहे है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि संस्था का नवीनीकरण करने की कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांकः

भवदीय,

(सन्तोष)
प्रबन्धक

/2/

5– प्रबन्धकारिणी समिति :– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पिता/ पति का नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्र0 सं0	नाम व पिता/ पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–	श्री सोहनवीर सिंह पुत्र श्री श्रीचन्द्र सिंह	वैस्ट ज्योतिनगर दिल्ली।	अध्यक्ष	सर्विस
2–	श्रीमती रेखा चौधरी पत्नी श्री सोहनवीर सिंह	एच–35, वैस्ट ज्योतिनगर, शाहदरा, दिल्ली।	उपाध्यक्ष	गृहणी
3–	श्रीमती चेतना चौधरी पत्नी श्री अरुण चौधरी	" "	प्रबन्धक	गृहणी
4–	श्री अरुण चौधरी पुत्र श्री सोहनवीर सिंह	" "	उपप्रबन्धक	व्यापार
5–	श्री विरेन्द्र सिंह ढाका पुत्र श्री वेदप्रकाश सिंह	85, खन्नानगर, लोनी, गाजियाबाद।	कोषाध्यक्ष	अध्यापन
6–	श्री सतपाल सिंह त्यागी पुत्र श्री श्योनाथ सिंह	ग्राम केहरका, पो0 दत्तनगर,	सदस्य	अध्यापन
7–	श्रीमती मीनाक्षी पत्नी श्री तरुण चौधरी	एच–35, वैस्ट ज्योतिनगर, शाहदरा, दिल्ली।	सदस्य	गृहणी

Santosh

Principal
CHETNA CONVENT SCHOOL
Khanna Nagar, Loni, Ghaziabad

6– हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि इस स्मृति–पत्र व संलग्न नियमावली के अनुसार सो0रजि0ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

दिनांक–

हस्ताक्षर:

Sohanveer Singh
अध्यक्ष
चेतना कान्वेन्ट स्कूल
85, खन्नानगर लोनी गाजियाबाद

Arun Chaudhry

Chetna
प्रबन्धक
चेतना कान्वेन्ट स्कूल
85, खन्नानगर लोनी गाजियाबाद

रेखा चौधरी

सतपाल त्यागी

Meenakshi

RUPEES

Rs. 10

NON JUDICIAL

13AA 384949

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONVENT SCHOOL

[illegible]

संस्था का नाम : चेतना शिक्षा समिति ।

संस्था का पूरा पता : 66, कन्नानगर, लोनी, जिला- गाजियाबाद ।

संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण मेरठ मण्डल होगा।

संस्था के उद्देश्य : निम्नलिखित होंगे :-

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राईमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय, कालेज एवं शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
2. निर्धन व असहाय बालक/ बालिकाओं के सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे अन्य हस्तशिल्प शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर संचालन करना एवं उनको आत्म निर्भर बनाना।
3. युवा वर्ग के लिए रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों का संचालन एवं संपादन करना।
4. समाज में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति-जनजाति, विकलांगों आदि के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना ।
5. आपातकालीन परिस्थितियों जैसे भूकम्प, अग्निकांड, बाढ़, महामारी व अन्य प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ितों को राहत सामग्री आदि सुविधायें उपलब्ध कराना।
6. समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सम्मेलनों, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं जैसे खेल-कूद, वाद-विवाद, चित्रकला, सामान्य ज्ञान आदि का आयोजन करना ।
7. चिकित्सा कैम्प, शिविरों का आयोजन करवाकर परिवार कल्याण एवं पोलियो, संक्रामक रोग के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।
8. शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं बौद्धिक विकास के लिए उचित शैक्षिक वातावरण तैयार करके शिक्षा प्रदान करना।
9. समाज के सभी वर्गों के युवक / युवतियों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करना।
10. बच्चों तथा युवकों/ युवतियों के लिए व्यायामशाला, पुस्तकालय की स्थापना करना ।
11. मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित कर उनके मनोबल को बढ़ावा देना।

Salamveer Singh

Bhim Chaudhary

Chetna

प्रबन्धक
चेतना कान्वेन्ट स्कूल
66, कन्नानगर लोनी गाजियाबाद

Principal
CONVENT SCHOOL

नियमावली

संस्था का नाम : चेतना शिक्षा समिति ।

संस्था का पूरा पता : 85, खन्नानगर, लोनी, जिला- गाजियाबाद।

संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण मेरठ मण्डल होगा।

संस्था के उद्देश्य : स्मृति–पत्र के अनुसार होंगे ।

संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :–

क– सदस्यता :–

जो सज्जन 18 व... अधिक आयु का हो, नैतिक आचरण वाला हो, दिवालिया न हो, पागल न हो, सर्वोदय विचार वाला हो, संस्था के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो, संस्था का सदस्य बन सकता है।

ख– सदस्यों के वर्ग :–

अ– आजीवन सदस्य :–

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 5100 /– रू0 नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, आजीवन सदस्य कहलायेगा ।

ब– सामान्य सदस्य :–

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 151/–रू0 नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, सामान्य सदस्य कहलायेगा ।

Principal
CHETNA CONVENT SCHOOL
85, Khanna Nagar, Loni, Ghaziabad

प्रबन्धक
चेतना कान्वेन्ट स्कूल
85, खन्नानगर, लोनी, गाजियाबाद

सदस्यता की समाप्ति :–

1– सदस्य की मृत्यु होने पर ।

2– सदस्य द्वारा त्याग–पत्र दिये जाने पर ।

3– संस्था की सदस्यता शुल्क अदा न करने पर।

4– सदस्य को दिवालिया अथवा पागल घोषित होने पर।

5– संस्था के विरूद्ध कार्यो में संलिप्त पाये जाने पर।

6– संस्था की तीन मीटिंग में बिना किसी कारण लगातार अनुपस्थिति रहने पर।

संस्था के अंग :– क– साधारण सभा

ख– प्रबन्धकारिणी समिति ।

साधारण सभा :–

क–गठन:– संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर बनाया गया समूह साधारण सभा कहलायेगी ।

ख–बैठकें :– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार एवं विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

ग–सूचना :– सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैसेंजर द्वारा दी जायगी ।

घ–कोरम :– साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल संख्या का दो तिहाई होगा, को[illegible] के अभाव में स्थगित की गयी बैठक के लिए कोरम की पाबन्दी न हो[illegible] यदि उन्हीं विषयों पर विचार होता हो ।

ङ– विशेष वार्षिक अधिवेशन :–

संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार हुआ करेगा जिसकी तिथि प्र[illegible]समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

च–साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1– संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।

2– संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट आदि को पास करना।

Sohan Veer Singh   Prem Chaudhary   Chetna

Meenakshi

Principal
CHETNA CON[illegible] SCHOOL

3— संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन 2/ 3 बहुमत से करना।

4— संस्था की नीति निर्धारित करना।

5— संस्था के भ्रष्ट सदस्यों को निकालना ।

प्रवन्धकारिणी समिति :—

क—गठन :— संस्था की प्रवन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा होगा। जिसमें अधिकतम 11 होगी। जो आवश्यकता पड़ने घट बढ़ सकेगी।

ख—बैठकें :— सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार एवं विशेष बैठकें कभी भी अध्यक्ष के निर्देशन पर बुलाई जा सकती है।

ग—सूचना :— सामान्य बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैसेंजर द्वारा दी जायेगी ।

घ—कोरम :— प्रवन्धकारिणी समिति का बैठक का कोरम तीन चौथाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक की पाबन्दी न होगी, यदि उन्ही विषयों पर विचार होता हो।

ङ—रिक्त पद की पूर्ति :—

प्रवन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद होने पर उसकी पूर्ति प्रवन्धकारिणी समिति स्वयं साधारण सभा सदस्यों में से बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल की अवधि के लिए कर लेगी ।

च—कार्यकाल :— प्रवन्धसमिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

च—प्रवन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :—

1— संस्था के नियमों—विनियमों में संशोधन करना ।

2— संस्था का प्रवन्ध संचालन हेतु कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति करना।

3— संस्था की वार्षिक रिपोर्ट,बजट आदि को तैयार कराना।

Principal
CHETNA CONVENT SCHOOL
Kanupe Nagar, Loni Ghaziabad

Sohan Veer Singh

अध्यक्ष
चेतना कान्वेन्ट स्कूल

Santosh

Arun Chaudhary

Chetna

Meenakshi

4– प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद की पूर्ति करना ।

5– संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, चन्दा, ऋण, अनुदान, भूमि, भवन, चल अचल सम्पत्ति विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करना ।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

अध्यक्ष :–

1– संस्था की सभी प्रकार की बैठकों, सभाओं की अध्यक्षता करना ।

2– सभाओं, कार्यक्रमों आदि के लिए दिनांक, समय का निर्धारण कर सूचना जारी करना ।

3– समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देना।

4– संस्था के हित में कार्य करना।

उपाध्यक्ष :–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपाध्यक्ष को निहित होंगे।

प्रबन्धक :–

1– संस्था के अभिलेखों का रख रखाव करना व मीटिंग की कार्यवाही को रजिस्टर में दर्ज कराना, अभिलेख पूर्ण कराना।

संस्था के अन्तर्गत संचालित स्कूल यूनिट आदि के संचालन हेतु समस्त प्रकार की संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।

3– संस्था के समस्त वाउचरों, अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना एवं उनको आवश्यकता पडने पर प्रमाणित भी करना ।

Principal
CHETNA CONVENT SCHOOL

4– संस्था के द्वारा संचालित यूनिट, संस्थान, स्कूल आदि के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, डिमोशन आदि सम्बन्धी कार्यवाही करना ।

5–. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष के साथ मिलकर दान–अनुदान, चन्दा, ऋण, चल अचल सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु <u>सरकारी/गैर</u> सरकारी कार्यालयों, विभागों, बैंक आदि से सम्पर्क कर प्राप्त करना। संस्था के हित में कार्य करना।

6– संस्था के सदस्य/ कर्मचारी के त्याग–पत्र को अध्यक्ष की स्वीकृत के बाद संस्तुति करना।

उपप्रबन्धक :– प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपप्रबन्धक को निहित होंगे।

कोषाध्यक्ष :–

1– संस्था के कैश से सम्बन्धित सभी अभिलेख तैयार करना, उनमें धनराशि का इन्द्राज करना।

2– संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट तैयार कराकर बैठक में प्रस्तावित करना।

3– अध्यक्ष तथा प्रबन्धक के द्वारा सौंपे गये कार्य करना।

1– नियमों–विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :–

संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन प्रक्रिया प्रबन्धसमिति के अनुमोदन होने के दस दिन बाद साधारण सभा की बैठक में दो तिहाई बहुमत पूर्ण होने पर संशोधन/ परिवर्तन मान्य होगा।

Principal
... CONVENT SCHOOL

12– संस्था का कोष :–

संस्था का कोष संस्था के नाम से किसी भी बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा जिसका संचालन संस्था के प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

शासनादेश संख्या :- सी0एम0-109/तीन-2014, दिनांकः जून, 2014 का

<u>स्वः प्रमाणित घोषणा पत्र</u>

मैं सन्तोष पत्नी श्री विरेन्द्र सिंह ढाका, व्यवसाय- गृहणी, निवासी 85, खन्ना नगर, लोनी, जनपद गाजियाबाद- 201102 की हूँ तथा संस्था **चेतना शिक्षा समिति, 85, खन्ना नगर, लोनी, जिला-गाजियाबाद** की प्रबन्धक हूं।

प्रमाणित करते हुए घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये विवरण/तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में शुद्ध एवं सत्य है। मैने उसमें कुछ भी छुपाया नही है। मैं मिथ्या विवरणों/तथ्यों को देने के परिणामों से भली- भांति अवगत हूँ। यदि आवेदन पत्र में दिये गये कोई विवरण/तथ्य मिथ्या पाये जाते है, तो मैं, मेरे विरूद्ध भा0द0वि0, 1860 की धारा-199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अन्तर्गत अभियोजन एवं दण्ड के लिए स्वंय उत्तरदायी होऊगीं।

मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा की गई दस्तावेजों का स्वः प्रमाणीकरण या घोषणा गलत पायी जाती है या मेरे द्वारा गलत दस्तावेजों का स्व प्रमाणीकरण किया गया है, तो मेरे द्वारा प्राप्त की गई सभी प्रकार की सुविधायें तत्काल वापस ले ली जायें। संस्था का मूल प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा कर रहे है।

स्थान- गाजियाबाद।
दिनांक: 09.09.2021

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर... Santosh
आवेदनकर्ता का नाम :- सन्तोष

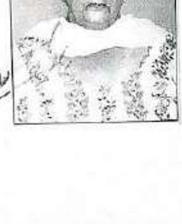

नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक........ 024057

प्रारूप — 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 2272

दिनांक 28.7.16

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या 474 पत्रावली संख्या 48356–एम दिनांक 2006-2007

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि .... चेतना शिक्षा समिति, 85, खन्ना नगर, लोनी, जिला–गाजियाबाद .... को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र .... 406 दिनांक .... 22-07-2006 को दिनांक 22-07-2016 .... से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1100 .... रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक........ 27-07-2016

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सो0 फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(क0 / टी0 / आफसेट)।